आवश्यक/समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1—समस्त अपर निदेशक ग्रेड—।।,पशुपालन विभाग,उ0प्र0।
2—अपर निदेशक ग्रेड—2, पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग लखनऊ।
3—संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र,
(चकगंजरिया) रहमानखेडा, लखनऊ/निबलेट बाराबंकी/बाबूगढ़ हापुड़।
4—परियोजना अधिकारी, सघन भेड़ एवं ऊन विकास प्रायोजना, मिर्जापुर।
5—परियोजना निदेशक, वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़ चन्दौली।
6—संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, मंझरा खीरी।
7—प्रधानाचार्य आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
8—संयुक्त निदेशक,एनीमल न्यूट्रीशन पशु आहार प्रयोगशाला,निदेशालय कैम्पस, लखनऊ।
9—संयुक्त निदेशक, भदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा।
10—उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर लखनऊ।

संख्या 3501/स्था0—2/1—ख/13(2309)/2015 दिनांक 28/08/2015

विषयः **मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में कार्मिक अनुभाग—2 द्वारा प्रसारित शासनादेश संख्या 08/04/01/2002 टी0सी0—1—क—2/2015 दिनांक 21 अगस्त, 2015 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28.04.2012 के पूर्व एवं 15.11.1997 के बाद प्रोन्नति कर्मियों को पदावनत किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 25.08.2015 को अपरान्ह 12:30 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन के संबंध मे।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या 04/01/2002/क—2/टी0सी0—1/2015 दिनांक 25 अगस्त, 2015 द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में कार्मिक अनुभाग—2 द्वारा प्रसारित शासनादेश संख्या 08/04/01/2002टी0सी0—1—क—2/2015 दिनांक 21 अगस्त, 2015 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28.04.2012 के पूर्व एवं 15.11.1997 के बाद प्रोन्नत कर्मियों को पदावनत किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 25.08.2015 को अपरान्ह 12:30 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति के साथ प्रारूप 01 व 02 उपलब्ध कराते हुये अनुपालन की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश प्राप्त हुये है।

उक्त के कम में बैठक दिनांक 25.08.2015 का कार्यवृत्त एवं प्रारूप 01 और 02 संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशानुसार प्रारूप 01 और 02 पर सूचना दिनांक 31.08.2015 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(नेब्बू लाल)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)।

संख्या /स्था0—2/1—ख/13(2309)/2015 दिनांक

प्रतिलिपिः— संयुक्त सचिव, पशुधन अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश, शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

(नेब्बू लाल)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)।

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–4/1/2002/का–2/टी.सी.–1/2015
लखनऊ: दिनाँक: 26 अगस्त, 2015

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 27.04.2012 के अनुपालन में कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा प्रसारित शासनादेश संख्या–8/4/1/2002टी.सी.–1–का–2/2015, दिनॉक 21.08.2015 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनॉक 28.04.2012 के पूर्व एवं 15.11.1997 के बाद प्रोन्नत कार्मियों को पदावनत किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनॉक 25.08.2015 को अपरान्ह 12:30 बजे आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया अनुपालन की स्थिति से 09.09.2015 की सायं तक अवश्य अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर दि. 31/8/15 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध करायें।

26/8/15
(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव
पशुधन विभाग
उ० प्र० शासन।

मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 27.04.2012 के अनुपालन में कार्मिक अनुभाग-2 द्वारा प्रसारित शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टी.सी.-1-का-2/2015, दिनाँक 21.08.2015 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनाँक 28.04.2012 के पूर्व एवं 15.11.1997 के बाद प्रोन्नत कर्मियों को पदावनत किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनाँक 25.08.2015 को अपरान्ह 12:30 बजे

आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

2 बैठक में प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में सिविल अपील संख्या-2608/2011, यू.पी. पावर कारपोरेशन लिमिटेड बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनाँक 27.04.2012 के अनुपालन के संदर्भ में मा.सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित अवमानना याचिका सिविल संख्या-214/2013 अमर कुमार व अन्य बनाम जावेद उस्मानी, मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन व अन्य में दिनाँक 20.08.2015 को मा.सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत आदेश निर्गत किये गये हैं:-

"It is submitted by Mr. Ravi Prakash Mehrotra, learned counsel for the State of U.P. that the judgment passed in Uttar Pradesh Power Corporation Limited vs. Rajesh Kumar and Others (2012) 7 SCC 1, shall be complied with in letter and spirit within three weeks hence and the officers, **who are to be reverted shall be reverted and they shall not be given any kind of additional charge.** The Chief Secretary of the State of Uttar Pradesh shall **file an affidavit by 15th September, 2015,** stating that the same has been done, failing which this court may be compelled to direct his personal appearance. No further adjournment or extension of time shall be granted on that score.

Be it added, the High Court shall not entertain any kind of petition with regard to the controversy that is covered in the decision rendered in Uttar Pradesh power Corporation Limited (Supra) or even linked with it.

The Registrar (Judicial) is directed to send a copy of this order to the Registrar General of the High Court of Allahabad, to be placed before the learned Chief Justice so that he can do the needful in the matter.

List the matters on 15th September, 2015."

3 मा.सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के संदर्भ में निम्नांकित कार्यवाही समयबद्व तरीके से की जाये :-

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव से अपेक्षा की गयी कि वे अपने नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्ष कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, अर्द्ध सरकारी संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं, प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थओं के समस्त कर्मियों, जिनमें उनके मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में तैनात कर्मी भी शामिल होंगे, के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(i) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टी.सी.-1-का-2/2015, दिनॉक 21.08.2015 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एवं 15.11.1997 के बाद प्रोन्नत कर्मियों के पदावनत किये जाने के संबंध में समेकित सूचना दिनॉक **09.09.2015 के** सायंकाल तक संलग्न प्रारुप-1 पर उपलब्ध करा दी जाये।

(ii) दिनॉक 08.05.2012 से अबतक अर्थात् अद्यतन पदोन्नत कार्मिकों की श्रेणीवार संख्या की समेकित सूचना प्रारुप-2 पर उपलब्ध करा दी जाये।

(iii) उक्त वर्णित कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनॉक 21.08.2015 के अनुक्रम में पदावनत कर्मियों को पदावनत पद पर कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जायेगा।

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

संलग्नक:

I- प्रारुप-1

II- प्रारुप-2

III- उपस्थिति

परिशिष्ट–I

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–2608/2011 यू.पी. पावर कारपोरेशन लि. बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनॉक 27.04.2012 के अनुपालन हेतु निर्गत कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनॉक 21.08.2015 के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण

विभाग का नाम...

कम संख्या	पद/समूह	दिनॉक 15.11.1997 से 28.04.2012 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत ऐसे कार्मिक जिन्हें कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनॉक 21.08.2015 के अनुसार पदावनत हेतु चिन्हित किया गया है, की संख्या	कालम संख्या–3 में वर्णित कर्मियों में से दिनॉक 08.05.2012 से दिनॉक 09.09.2015 तक पदावनत किये गये कार्मिकों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	क		
2.	ख		
3.	ग		

प्रमुख सचिव/सचिव

विभाग का नाम.........

प्रारूप –II

दिनॉक 08.05.2012 से अब तक अर्थात् अद्यतन पदोन्नत कार्मिकों की श्रेणीवार संख्या की समेकित सूचना।

विभाग का नाम...

क्रम संख्या	पद / समूह	दिनॉक .8.05.2012 के पश्चात अबतक अर्थात अद्यतन पदोन्नति किये गये कार्मिकों की संख्या	अभ्युक्ति (यदि कोई हो)
1.	2.	3.	4.
1.	क		
2.	ख		
3.	ग		

प्रमुख सचिव / सचिव

विभाग का नाम.........